भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1105
दिनांक 05.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

रसायन तथा उर्वरक कारखानों में होने वाली दुर्घटनाएं

1105. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में रसायन तथा उर्वरक कारखानों और गोदामों में होने वाली दुर्घटनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में ऐसी कितनी दुर्घटनाएँ दर्ज की गई हैं;

(ग) क्या इन कंपनियों में सुरक्षा मानक निर्धारित मानकों से काफी कम हैं या निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी कमियों के लिए इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है तथा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या नए उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख):

रसायन एवं उर्वरक उद्योगों सहित कारखानों और गोदामों में होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या से संबंधित सूचना का रखरखाव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, सभी उद्योगों में तीन वर्षों की अवधि के दौरान हुई घातक और गैर-घातक चोटों का विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
घातक चोटें	988	1062	1127	757
गैर-घातक चोटें	2803	3006	2981	2255

(ग) और (घ):

सुरक्षा मानकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए लागू किए गए विभिन्न विधायी उपायों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) कारखाना अधिनियम, 1948

पंजीकृत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, जोखिमपूर्ण प्रक्रियाओं, काम के घंटों, दंड और प्रक्रियाओं आदि से संबंधित विस्तृत प्रावधान हैं।

अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 92 और 96ए के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को संबंधित राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्रों में मुख्य कारखाना निरीक्षकों (सीआईएफ)/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशालयों (डीआईएसएच) के माध्यम से लागू करती हैं। सीआईएफ/डीआईएसएच को उक्त अधिनियम और नियमों के उल्लंघन के लिए कारखाने के अधिष्ठाता और प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है।

(ii) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी), 2020

केंद्र सरकार ने किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाओं और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कानून अर्थात व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी), 2020 लागू किया है। उक्त संहिता केंद्र सरकार को ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 की धारा 18 के तहत कारखानों, खदानों, गोदी कार्य, भवन और अन्य निर्माण कार्यों और अन्य प्रतिष्ठानों से संबंधित कार्यस्थलों के लिए 'व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों' की घोषणा करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 की धारा 34 में उपयुक्त सरकार द्वारा 'निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता की नियुक्ति' का प्रावधान है और संहिता की धारा 35 ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए 'निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता की शक्तियों' का प्रावधान करती है।

(iii) जोखिमपूर्ण रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात (एमएसआईएचसी) नियम, 1989.

एमएसआईएचसी नियम, 1989 भी औद्योगिक प्रतिष्ठानों और जोखिमपूर्ण रसायनों के पृथक भंडारण में दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इन नियमों में सुरक्षा रिपोर्ट तैयार करने, सुरक्षा ऑडिट, दुर्घटनाओं की सूचना देने, कार्यस्थल और कार्यस्थल से बाहर आपातकालीन योजनाएँ तैयार करने, सूचना साझा करने आदि का प्रावधान है।

(iv) रासायनिक दुर्घटनाएँ (आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया) (सीएईपीपीआर) नियम, 1996

सीएईपीपीआर नियम, 1996 औद्योगिक रासायनिक दुर्घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए हैं। सीएईपीपीआर जिला स्तर पर संकट प्रबंधन समूहों की स्थापना को अधिदेशित करता है और रासायनिक सुविधाओं के लिए ऑन-साइट आपातकालीन योजनाओं और प्राधिकारियों के लिए ऑफ-साइट योजनाओं की आवश्यकता होती है।
